

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2010—पौष 18, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. एफ-24-20-2008-एक-10.—रिट याचिका क्रमांक 14765/2007 नर्मदा बचाओ आंदोलन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2009 के अनुपालन में तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-24-20-2008-एक-10, दिनांक 8 अक्टूबर 2008 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उसी तारीख को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में पैरा-1 में, उप पैरा (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप पैरा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तीन) क्या जीवनयापन अनुदान तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन के बारे में, आवासीय भू-खण्ड आवंटन तथा पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास स्थलों के पुनरावंटन के बारे में, रिट याचिका क्रमांक 14765/2007 नर्मदा बचाओ आंदोलन विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 नवम्बर 2009 के प्रथम पैरा में निर्दिष्ट अंतरिम आवेदनों में उल्लिखित अपात्र व्यक्तियों को मुआवजा तथा अनुदान के भुगतान में कोई भ्रष्टाचार/अनियमितताएं हुई हैं तथा यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया यह दर्शाने वाली कोई सामग्री है कि पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास और विस्थापितों, पात्र या अपात्रों को राशि वितरित करने के कार्य में लगे हुए नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है?”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. डी. साहू, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2010

क्र. एफ-24-20-2008-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-24-20-2008-एक-10, दिनांक 8 जनवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. साहू, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th January 2010

No. F-24-20-2008-One-10.—In compliance of the interim order dated 12th November 2009 passed by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur in Writ Petition No. 14765/2007, Narmada Bachao Andolan Versus State of Madhya Pradesh and Others and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F-24-20-2008-One-10, dated 8th October 2008 which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" on the same date, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in para 1, after sub-para (ii), the following new sub-para shall be inserted, namely:—

“(iii) Whether there have been corruption/irregularities as to livelihood grants and alternative livelihood, house plot allotment and re-allotment at the resettlement and rehabilitation sites; payment of compensation and grants to the ineligible persons mentioned in the interim applications referred to in the first paragraph of the order dated 12th November 2009 passed by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur in Writ Petition No. 14765/2007, Narmada Bachao Andolan Versus State of Madhya Pradesh and Others, and submit a report whether there is prima facie material to show that any offence is committed by the Officials of the Narmada Valley Development Authority and Revenue Department engaged in the resettlement and rehabilitation and disbursement of money to the oustees, eligible or ineligible?”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. D. SAHU, Addl. Secy.